

समाचार

कोरबा नगर निगम के सभी कार्यालयों में अब नहीं होगा प्लास्टिक पानी बोतल व डिस्पोजल का उपयोग

(आयुक्त ने कहा— प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की शुरुआत नगर निगम से ही हो, तभी लोग होंगे प्रेरित व प्रोत्साहित, पहले हम अपने आपको सुधारे—फिर दूसरो को दें नसीहत, तभी मिलेंगे परिणाम)

(आयुक्त ने दिए निर्देश, जोन कार्यालयों हेतु जोन कमिश्नर होंगे जिम्मेदार, निगम के कार्यक्रमों में भी की जाएगी वैकल्पिक व्यवस्थाएं)



कोरबा 04 जुलाई 2025 — नगर निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत एवं समस्त जोन कार्यालयों में अब प्लास्टिक पानी बोतल, प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा, इस हेतु आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निर्देश जारी कर निगम के कार्यालय अधीक्षक व सभी जोन कमिश्नरों को आदेश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित कराएं कि कार्यालयों में प्लास्टिक की पानी बोतल, डिस्पोजल व प्रतिबंधित प्लास्टिक के अन्य उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निगम द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों में

भी पेयजल व स्वल्पाहार हेतु प्लास्टिक बोतल डिस्पोजल आदि के स्थान पर वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने की नसीहत आम लोगों को देने से पूर्व हम पहले अपने आपको सुधारे—फिर दूसरों को नसीहत दें, तभी इसके सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत अपने घर व कार्य स्थल से करें, इससे लोगों को स्वमेव प्रेरणा मिलेगी तथा वे हानिकारक प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग खाद्य पदार्थों व पेयजल आदि में नहीं करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित होंगे। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि जैसा कि हम सबको इस बात की जानकारी है कि प्लास्टिक बोतल में भरा गया पेयजल एवं प्लास्टिक डिस्पोजल में रखी खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब प्लास्टिक डिस्पोजल में गर्म खाद्य सामग्री परोसी जाती है तो उसमें प्लास्टिक के अंश घुल जाते हैं, जो हमारे शरीर में पहुंचकर अनेक असाध्य बीमारियों का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब जानते हुए भी हम प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करते हैं, यह अफसोसजनक है।

शहर की स्वच्छता व साफ—सफाई में बाधक — आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि प्लास्टिक एक ओर जहाँ स्वास्थ्य लिए खतरनाक है, वहीं दूसरी ओर शहर की स्वच्छता एवं साफ—सफाई में सबसे बड़ी बाधा है। लोग इसके उपयोग के पश्चात प्लास्टिक डिस्पोजल, पानी बाटल आदि को नालियों, सड़कों में डाल देते हैं, चूंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, यह सड़ता गलता नहीं है, परिणाम स्वरूप नालियों में पहुंचकर यह डिस्पोजल व प्लास्टिक उत्पाद नालियों को जाम कर देता है व सफाई व्यवस्था में अवरोधक का कार्य करता है।

मवेशियों जानवरों के लिए प्राण घातक — सड़कों पर फेंका गया प्लास्टिक डिस्पोजल, जहाँ शहर की साफ—सफाई को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर मवेशियों जानवरों के लिए प्राणघातक सिद्ध होता है। डिस्पोजल में खाद्य पदार्थ लगे होने के कारण मवेशी उसे खा जाते हैं, जो उनके पेट में पहुंचकर उन्हें बीमार कर देता है, गले में फस कर श्वास को अवरोधित करता है और अंततः मौत का कारण बनता है, प्रतिबंधित प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए भी घातक है तथा पर्यावरण को प्रदूषित करता है, परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण की हमारी कोशिशें नाकाम होनी प्रारंभ हो जाती है।

आमजन से की अपील—न करें प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग — आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने दुकानदारों, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों, चाट ठेला, चाय दुकान सहित अन्य सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, स्वास्थ्य लिए घातक प्लास्टिक डिस्पोजल में स्वल्पाहार, चाय आदि अपने ग्राहकों न परोसे, उन्होंने आमनागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग से बचें, बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर जाएं, दुकानदारों से प्लास्टिक कैरीबैग आदि की मांग न करें।